रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-11122025-268431 SG-DL-E-11122025-268431

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2025

फा. सं. लैब.-एल016/1/2025/4617-4623.—दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल पूर्व प्रकाशन के पश्चात दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

नियम

- 1. संक्षिप्त शीर्षक इन नियमों को दिल्ली दुकानें एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) नियम, 2025 कहा जा सकता है।
- 2. नियम 5 का संशोधन -

"नियम 5 का लोप किया जाता है।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेशानुसार एवं उनके नाम से,

अशोक कुमार, सचिव

8282 DG/2025 (1)

LABOUR DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 9th December, 2025

F. No. Lab.-L016/1/2025/4617-4623.—In exercise of the powers conferred by section 47 of the Delhi Shops & Establishments Act, 1954,the Lt. Governor is pleased to make, after previous publication the following rules further to amend the Delhi Shops & Establishments Rules, 1954, namely:-

RULES

- 1. Short title -These rules may be called the Delhi Shops & Establishments (Amendment) Rules, 2025.
- 2. Amendment of Rule 5-
- "Rule 5 is omitted".

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, ASHOK KUMAR, Secy.